भीम| 01/2024

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

तारीख रजू– 02.02.2024

01/2024

पीठासीन अधिकारी:– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

कुमार पुत्र बाला जाति जांगिड निवासी डौरावली तहसील टोडाभीम।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र सुखराम जाति जाटव
2. आरामसिंह पुत्र रामेश्वर जाति जाटव
3. प्रेमसिंह पुत्र रामेश्वर जाति जाटव
   निवासीयान डौरावली तहसील टोडाभीम।
4. तहसीलदार टोडाभीम।

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128

उपस्थिति :– श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट (प्रार्थीगण)
श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक:– 28.06.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत पत्थर गढी का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम डौरावली की आराजी ख0न0 1646/82 रकवा 0.34 है0 मे प्रार्थी सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार तकार दर्ज रिकार्ड हैं उक्त भूमि पर प्रार्थीग काबिज काश्त है एवं भूमि को अपनी सुविधा व श्यकतानुसार अपने उपयोग–उपभोग मे लेता चला आ रहा है। उक्त ख0न0 1646/82 के र दिशा मे ख0न0 1647/82 है0 स्थित है जिसकी किस्म चरनौट है। ख0न0 1647/82 गाह भूमि पर अप्रार्थी न0 1 ता 3 ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। तथा प्रार्थी के न0 1646/82 रकवा 0.34 है0 के उत्तर दिशा मे ख0न0 1647/82 की तरफ डौल व करीब 3 भूमि को अप्रार्थी न0 1 ता 3 द्वारा दबा लिया है जिसके संबध मे तहसीलदार टोडाभीम को ाज्ञान आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 09.06.2023 को प्रार्थी की भूमियो का सीमाज्ञान ा गया। परन्तु अप्रार्थीगण न0 1 ता 3 ने सीमाज्ञान निशानो को हटा दिया।

बॉका दिनांक 25.01.2024 को प्रार्थी मुताबिक सीमाज्ञान निशानात को पुनः लगाने लगा अप्रार्थीगण न0 1 ता 3 हाथों मे लाठी डण्डा लेकर आये और प्रार्थी से कहा कि हम कोई ाज्ञान नही मानते हम तुम्हे यहॉ निशान नही लगाने देगे। प्रार्थी ने उनको काफी समझाया लेकिन ही माने इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुताबिक ाज्ञान दिनांक 09.06.2023 ग्राम डौरावली के ख0न0 1646/82 रकवा 0.34 है0 का पुलिस दाद से पत्थर गढी करवाने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ार्थी न0 4 पैरोकार सरकार उपस्थित, अप्रार्थी न0 1 ता 3 ने जरिये वकालतन जबाब पेश किया ख0न0 1646/82 के उत्तर दिशा मे ख0न0 1647 का होना स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है, ोकि प्रार्थी का यह कहना गलत है कि अप्रार्थी न0 1 ता 3 द्वारा 1646 के उत्तर दिशा मे 0न0 1647/82 की तरफ 3 फिट भूमि को दबाया हो। प्रार्थी ने दिनांक 09.06.2023 को भूमि का माज्ञान नही कराया गया है जब सीमाज्ञान ही नही कराया तो मौके पर निशान कैसे हो सकते ख0न0 1646/82 रकवा 0.34 है0 के पूर्व दिशा में स्थित ख0न0 1602 के खातेदार गदीश, मलकेश, हरिसिंह पि0 सतीसन, परमोली पुत्र किशोरी की खातेदारी आराजी है। जिन्हे प्रार्थी ारा मुकदमा हाजा मे पक्षकार नही बनाया है। जबकि कानूनन पत्थर गढी प्रार्थना पत्र मे स्पष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:03:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-गंगापुर सिटी

उनवान:– केशव बनाम [illegible]

01/2024

ान है कि सभी पडौसी खातेदारो को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। इसलिये पडौसी दारो को पक्षकार नही बनाये जाने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः जबाव प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का ान करते हुये कथन किया कि ग्राम डौरावली की आराजी ख[illegible] 1646/82 रकवा 0.34 है0 मे सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं उक्त [illegible] पर प्रार्थीग काबिज काश्त है भूमि को अपनी सुविधा व आवश्यकतानुसार अपने उपयोग [illegible] रहा है। ख0न0 1646/82 के उत्तर दिशा मे ख[illegible] स्थित है जिसकी किस्म चरनौट ख0न0 1647/82 चरागाह भूमि पर अप्रार्थी न0 1 ता 3 [illegible] रूप से कब्जा कर रखा ख0न0 1647/82 [illegible] तथा प्रार्थी के ख0न0 1646/82 रकवा 0.34 है0 [illegible] ख0न0 1647/82 की तरफ व करीब 3 फिट भमि को अप्रार्थी न0 1 ता 3 द्वारा दबा लिया है जिसके संबध मे तहसीलदार ाभीम को सीमाज्ञान आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 09.06.2023 को प्रार्थी की भूमियो सीमाज्ञान किया गया। परन्तु अप्रार्थीगण न0 1 ता 3 ने सीमाज्ञान निशानो को हटा दिया। अतः ना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 09. 023 ग्राम डौरावली के ख0न0 1646/82 रकवा 0.34 है0 का पुलिस इमदाद से पत्थर गढी ाने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को फरमाया जावे।

अप्रार्थी न0 1 ता 3 ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये न किया कि ख0न0 1646/82 के उत्तर दिशा मे ख0न0 1647 का होना स्वीकार है शेष कथन ीकार है, क्योकि प्रार्थी का यह कहना गलत है कि अप्रार्थी न0 1 ता 3 द्वारा 1646/82 के र दिशा मे ख0न0 1647/82 की तरफ 3 फिट भूमि को दबाया हो। प्रार्थी ने दिनांक 09.06. 3 को भूमि का सीमाज्ञान नही कराया गया है जब सीमाज्ञान ही नही कराया तो मौके पर ानात कैसे हो सकते है। ख0न0 1646/82 रकवा 0.34 है0 के पूर्व दिशा मे स्थित ख0न0 /1602 के खातेदार जगदीश, मलकेश, हरिसिंह पि0 सतीसन, परमोली पुत्र किशोरी की खातेदारी ाजी है। जिन्हे प्रार्थी द्वारा मुकदमा हाजा मे पक्षकार नही बनाया है। जबकि कानूनन पत्थर गढी ना पत्र मे स्पष्ट प्रावधान है कि सभी पडौसी खातेदारो को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। लेये पडौसी खातेदारो को पक्षकार नही बनाये जाने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः ब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का ोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम डौरावली की आराजी ख0न0 1646/82 रकवा 0.34 है0 ार्थी मुताबिक जमाबन्दी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। आराजी ख0न0 1646/82 रकवा 0. है0 का तहसीलदार टोडाभीम द्वारा दिनांक 09.06.2023 को सीमाज्ञान किया गया है। उक्त चन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता

अतः तहसीलदार टोडाभीम को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा मानुसार पत्थरगढी शुल्क तहसील कार्यालय मे जमा कराये जाने पर मुताबिक सीमाज्ञान ीगण की खातेदारी की आराजी ग्राम डौरावली के खसरा नम्बर 1646/82 रकवा 0.34 है0 की रगढी मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.06.2023 के अनुसार करवाई जावे। यदि मौके पर स इमदाद की आवश्यकता हो तो थानाधिकारी टोडाभीम से आवश्यक पुलिस इमदाद लेकर रगढी करवाई जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:03:08 IST
Reason: SelfAttested